

(मैनुअल-4)

नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

विभाग द्वारा कार्याधीन योजनाओं/अनुश्रवण संबंधी कार्यों एवं विभाग द्वारा निष्पादित कार्य की समीक्षा करने/सुचारु रूप से कार्यों के निष्पादन हेतु विभागीय प्रशासन एवं उसके ढाँचे में सुधार के लिए सुझाव देने/कार्य प्रगति में तीव्रता तथा प्रशासन में मितव्ययिता लाने के निमित्त विभाग द्वारा अपनायी गयी सामान्य नीति एवं कार्यक्रम पर परामर्श देने/भविष्य में विकास कार्य के लिए योजना तैयार करने हेतु संसदीय कार्य विभाग, बिहार के ज्ञाप संख्या-सं0 का (पी0ए0-1039/77-700 दिनांक-11.10.1985) द्वारा प्रत्येक विभाग को परामर्श दातृ समिति का गठन (द्वादश विधान सभा के बाद) अधिसूचना संख्या-5807 (एस) दिनांक-25.08.2001 द्वारा किया गया था।